लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
070/2022 (GCMS 2022/346)	23.09.2022	18.10.2022

अनवान

मोहम्मद हनीफ पिता गनी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 17, एन.जी.टी. 40, आर.पी.एस. कॉलोनी रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोर्डेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 06.09.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./070/2022(सू.अ.)(18.10.2022) दिनांक 23.09.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 18.10.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 18.10.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/845 दिनांक 07.10.2022 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार हैं–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि प्रार्थी मोहम्मद हनीफ पिता गनी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 17, एन.जी.टी. 40, आर.पी.एस. कॉलोनी रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन दिनांक 06.09.2022 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 09.09.2022 से प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में वांछित सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/330 दिनांक 13.09.2022 से जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवायी जाकर अवगत कराया जा चुका हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करवाने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/845 दिनांक 07.10.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् यह व्यवस्था की गई है कि अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद हैं। प्रार्थी के आवेदन से वांछित सूचना के तथ्य प्रश्नात्मक होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/330 दिनांक 13.09.2022 से प्रार्थी को इस संबंध में अवगत कराते हुए उसके आवेदन को निस्तारित किया गया। साथ ही रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किये जाने पर भी अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं आए, जिसके कारण अपीलार्थी की ओर से कोई भी जवाब/खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.10.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
18.10.2022